सं.12014/12/2009-जीपी

भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 29 जून, 2010

आदेश

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने छह भौगोलिक क्षेत्रों (जीएएस) में सिटी गैस विकास (सीजीडी) नेटवर्क के लिए बोली के पहले चरण की शुरुआत की थी, जिसमें गेल गैस लिमिटेड को कोटा, मेरठ, देवास और सोनीपत के लिए चुना गया था, जबकि भाग्यनगर गैस लिमिटेड और सौम्या डीएसएम को क्रमशः काकीनाडा और मथुरा के लिए चुना गया था। तथापि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सी) सं.9022/2009 और डब्ल्यूपी (सी) सं.8415/2009 में अपने आदेश द्वारा यह घोषित की है कि पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 16 की अधिसूचना के अभाव में, पीएनजीआरबी को अन्य सभी सीजीडी नेटवर्क के लिए प्राधिकार प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके बाद, इन कंपनियों ने अनुरोध किया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय उन्हें सार्वजनिक हित में सीजीडी परियोजनाओं को संचालित करने का प्राधिकार प्रदान करे, ताकि कार्यान्वयन परिकल्पित लक्ष्यों के अनुसार आगे बढ़ सके। यह उल्लेख किया गया है कि इन कंपनियों ने अपने भौगोलिक क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में निवेश किया है। यह अनुरोध किया गया है कि अधिनियम की धारा 16 की अधिसूचना के अभाव में उत्पन्न कमी को दूर करने के लिए प्राधिकार देना आवश्यक है।

2. उनके अनुरोध पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.01.2010 के आदेश तथा डब्ल्यूपी(सी) सं.9022/2009 और डब्ल्यूपी(सी) सं.8415/2009 में दिनांक 08.02.2010 के स्पष्टीकरण आदेश तथा एसएलपी (सी) सं.5408 और एसएलपी (सी) सं.7770 / 2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.03.2010 के आदेश के संदर्भ में विचार किया गया है। जहां तक वर्तमान कानूनी स्थिति का संबंध है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को प्राधिकरण देने की कोई शक्ति नहीं है, ऐसी शक्ति के बारे में बोर्ड के अनुमान से पूर्व की स्थिति बनी रहेगी, जिसका अर्थ है कि शक्तियां मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालय में निहित होंगी और प्राकृतिक गैस, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान नहीं हो सकता। इसके साथ-साथ, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि इन कंपनियों ने पीएनजीआरबी द्वारा शुरू की गई चयन प्रक्रिया के आधार पर कार्य किया है और भौगोलिक क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में निवेश किया है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार गैस लिमिटेड को कोटा, मेरठ, देवास और सोनीपत, काकीनाड़ा के लिए भाग्यनगर गैस लिमिटेड और मथुरा के लिए सौमिया डीएसएम का प्राधिकार प्रदान करती है।

4. उल्लिखित कंपनियां पीएनजीआरबी के विभिन्न नियमों से बंधी होंगी, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्य प्रतिबद्धता, नेटवर्क टैरिफ, तकनीकी मानक और विनिर्देश, सुरक्षा मानक, सेवा मानकों की गुणवत्ता आदि शामिल हैं।

हस्ता./-
(मनु श्रीवास्तव)
निदेशक

सेवा में
गेल गैस लिमिटेड / बीजीएल / सौम्या डीएसएम

प्रतिलिपि:

सचिव, पीएनजीआरबी / मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार / मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार / मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार / मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार/ मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार